न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 214 / 2022 प्रार्थना पत्र दर्ज तिथि : 18.11.2022
GCMS No. : 2022/624

1. श्री विनोद पिता रतनलाल प्रजापत जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी अहमद नगर तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री भेरूलाल पिता अम्बालाल प्रजापत जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी अहमद नगर तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री गोवर्धन पिता अमृतराम प्रजापत जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी अहमद नगर तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्री दिनेश पिता देवीलाल प्रजापत जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी अहमद नगर तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा।

.... विपक्षी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री कौशल भराडिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम अहमदनगर तहसील, निम्बाहेड़ा में प्रार्थीगण [illegible] व मकानात है। वर्तमान आराजी नम्बर 109 रकबा 3.76 हैक्टेयर जो साबिक आराजी नम्बर 13 का भाग था एवं इसके नम्बर 77 / 13 रकबा 15 बीघा जो साबिक आराजी नम्बर 13 के कई टुकडे हुए जिसमें से आराजी नम्बर 69 / 13 भी थी जिसके नवीन आराजी नम्बर 116 रकबा [illegible] हैक्टेयर बने। यह कि भू–प्रबन्ध लागू होने से पूर्व आराजी नम्बर 77 / 13 नक्शे में अपने रकबे अनुसार सही तरह से स्थित था परन्तु नवीन राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 109 का रकबा कम कर दिया और आबादी की भूमि में जहां प्रार्थीगणों के मकान व बाडे बने हुए है वहां नवीन आराजी नम्बर 116 को दर्शा दिया गया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नवीन राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त कर हाल आराजी नम्बर 109 जिसमें ग्राम अहमदनगर की आबादी बसी हुई है को सही तरीके से राजस्व नक्शे में पेमूद कर हाल आराजी नम्बर 116 को भी पूर्व नक्शे में तरमीम अनुसार या मौके पर स्थित अनुसार रखवाया जाने एवं ग्राम अहमदनगर के नवीन राजस्व नक्शे को इसी अनुसार दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए नवीन राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त कर हाल आराजी नम्बर 109 जिसमें ग्राम अहमदनगर की आबादी बसी हुई है को सही तरीके से राजस्व नक्शे में पेमूद कर हाल आराजी नम्बर 116 को भी पूर्व नक्शे में तरमीम अनुसार या मौके पर स्थित अनुसार रखवाया जाने एवं ग्राम अहमदनगर के नवीन राजस्व नक्शे को इसी अनुसार दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने उनके पत्रांक : राजस्व/2023/620 दिनांक 10.04.2023 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि वादी के कथनानुसार ग्राम अहमदनगर, पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा के साबिक आराजी नम्बर 77/13 रकबा 15 बीघा जिस पर ग्राम अहमदनगर की आबादी बसी होकर प्रार्थीगण के मकान व बाडे बने हुए है बाद सेटलमेन्ट उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 109 दर्ज होकर नक्शे में आराजी अन्य जगह तरमीम की जाकर रकबा कम कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वादी के मकान व बाडे आराजी नम्बर 116 खातेदारी में आ रहे है, जिसको दुरूस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस बाबत् गत नक्शे एवं हाल नक्शे का मिलान किया गया। उक्त आराजी नम्बर 77/13 साबिक आराजी नम्बर 114/104/13 रकबा 5 बीघा के उत्तरी ओर एवं साबिक आराजी नम्बर 70/13 की दक्षिणी मेड के समानान्तर पश्चिमी ओर स्थित थी। साबिक आराजी नम्बर 77/13 के हाल आराजी नम्बर 109 रकबा 3.79 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 114/104/13 के हाल आराजी नम्बर 108 रकबा 1.26 हैक्टेयर एवं साबिक आराजी नम्बर 70/13 के नवीन आराजी नम्बर 115 रकबा 2.00 हैक्टेयर उसी अनुसार तरमीम हुई है जिस प्रकार पूर्व साबिक नक्शे में तरमीम थी। आराजी नम्बर 109 रकबा 3.79 हैक्टेयर आबादी भूमि की नक्शे में रकबा बरारी करने पर पुरा होकर, कम नहीं है। यह कि गत नक्शे एवं हाल नक्शे की तुलना करने पर हाल आराजी नम्बर 109 रकबा 3.79 हैक्टेयर किस्म आबादी हाल नक्शे में गत नक्शे अनुसार ही तरमीम होने व आराजियात का रकबा रिकार्ड अनुसार पुरा होने से प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नही है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

> ***136. Correction of errors.*** – *The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2024.01.06 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम अहमदनगर की साबिक आराजी नम्बर 77/13 रकबा 15 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 109 रकबा 3.76 हैक्टेयर बने इसी आराजी नम्बर में प्रार्थीगण के मकान एवं बाडे बने हुए है किन्तु सेटलमेन्ट पश्चात नवीन आराजी नम्बर 109 का रकबा कम कर दिया तथा आबादी की भूमि में जहां प्रार्थीगणों के मकान व बाडे बने हुए है वहां नवीन आराजी नम्बर 116 को दर्शा दिया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि गत नक्शे एवं हाल नक्शे की तुलना करने पर आराजी नम्बर 109 रकबा 3.79 हैक्टेयर किस्म आबादी हाल नक्शे में गत नक्शे अनुसार ही तरमीम होने व आराजियात का रकबा रिकार्ड अनुसार पुरा होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम अहमदनगर की वर्तमान आराजी नम्बर 109 रकबा 3.79 हैक्टेयर आबादी भूमि वर्तमान नक्शे में उसी जगह तरमीम की गई है जहां साबिक नक्शे में थी एवं रकबा बरारी में आराजी नम्बर 109 का रकबा भी बराबर आ रहा है। मैं तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हूं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य साबिक एवं नवीन रिकार्ड से साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं साबिक तथा नवीन रिकार्ड से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

29/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:50 IST
Reason: SelfAttested